

कार्यालय - अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन)/ /17, दिनांक : दिसम्बर 5, 2017,

-:: आदेश ::-

श्री वी0 के0 दुबे, एच0जे0एस0, न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, कानपुर के प्रार्थना-पत्र सं0 691/17 दिनांक 30-11-2017 पर सम्यक विचारोपरान्त आदेश सं0 1813/17 दिनांक 24 नवम्बर 2017 द्वारा माह-दिसम्बर, 2017 के लिए गठित युगल पीठ लखनऊ का कार्यक्रम दिनांक 04-12-2017 से 08-12-2017 में दिनांक 08-12-2017 की युगलपीठ निरस्त की जाती है।

सम्बन्धित अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया जाये।

— 05-12-17

(नरेन्द्र कुमार जौहरी)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन)/1829/2017, तद्दिनांकित,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, कानपुर।
- 2- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 से 3, लखनऊ।
- 3- राज्य प्रतिनिधि (युगलपीठ)- पीठ-1 से 3, लखनऊ
- 4- अध्यक्ष/सचिव, उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन/टैक्स लायर्स एसोसिएशन लखनऊ को इस आशय एवं अनुरोध के साथ कि इस सूचना से समस्त अधिवक्तागण, जो उक्त टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य हों, को अपने स्तर से अवगत करायें।
- 5- वरिष्ठ सहायक (विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 6- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।

आज्ञा से,

प्र0 निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।